

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर  
पीठासीन अधिकारी :- राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0  
मुकदमा नम्बर :- 527/2013

1. घमण्डी पुत्र मवासी जाति गडरिया नि0 ग्राम तरौंडर तह0 नगर  
1/1 मु0 प्रेमवती पत्नि घमण्डी  
1/2 बच्चूसिंह  
1/3 गब्बर  
1/4 रूपसिंह पिस0 घमण्डी जाति गडरिया नि0 तरौंडर  
1/5 मुकेश  
1/6 राकेश  
1/7 पूर्ववता पुत्री घमण्डी  
1/8 सुमन्त्रा पुत्री घमण्डी
2. श्रामसिंह पुत्र मवासी जाति गडरिया नि0 तरौंडर तह0 नगर

— वादीगण

बनाम

1. सलेम पिस0 उम्मेद
2. कमरु
3. बदलू पुत्र रहीम खां
4. ताहिर हुसैन पुत्र रहमत
5. आसीन पिस0 चाहत
6. आयूब

जातियान मेव निवासी रायपुर सुकैती तह0 नगर

7. आसमौहम्मद
8. इलियास
9. मजीद
10. रसीद पिस0 हुसैन खां नि0 बयारी तह0 नगर
11. मुवीन
12. दीनू



13. नूरु

14. दीनमौहम्मद

15. जोरमल

16. जुहरू

17. चन्दर पुत्र छीतर

18. खुशीद | पिस० चावला जाति मेव निवासी बयारी तह० नगर

19. रसीद

20. तहसीलदार तह० नगर

जातियान जाटव नि० सीकरी पट्टी तह० नगर

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित -

श्री गजेन्द्रसिंह, अधिवक्ता वादीगण

श्री मुवीनखां, प्रति०

निर्णय

दिनांक 18/12/2017

वादीगण ने यह दावा इस आशय का संस्थित किया है कि वि०आ०ख०नं० 161/0.54, 166/0.36, 625/0.35, 170/0.31, 171/0.37, 172/0.37, 173/0.62 बाके ग्राम रायपुर सुकैती स्थित है जो साविक आ०ख०नं० 132 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, 495 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, 721 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वादीगण के पिता मवारी पुत्र सोनी कौम गडरिया निवासी तरोंडर को भूतपूर्व सैनिक होने के कारण एलॉट हुआ था जिसका नामां० संख्या 206 से राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया जिस पर तभी से वादीगण के पिता एवं अब उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । दौराने सैटिलमेन्ट साविक आ०ख०नं० 495 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा से हाल ख०नं० 625/0.35 बना जिसमें खिलाफ मौका व कब्जा हिम्मत पुत्र निजरू का नाम दर्ज कर दिया जो द्रतिल व वेअसर तथा गैरकानूनी व शून्य है । साविक ख०नं० 621 से नया ख०नं० 934/0.18 बना है जो वादीगण के पिता के नाम सही दर्ज है । साविक आ०ख०नं० 132 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा को दौराने सैटिलमेन्ट ख०नं० 161, 166, 170, 171, 172, 173 में गलत तरीके से

13

खिलाफ मौका व कब्जा गिलाकर प्रतिवादीगण के नाम कर दिया है जबकि सैटिलमेन्ट अधिकारियों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । विदि वजह ख0नं0 625 से प्रति0 हिम्मत का नाम कलमजन किया जाकर वादी0 को बहिस्सा बराबर तथा ख0नं0 161 में 4 ऐयर, 166 में 6 ऐयर, 170 में 6 ऐयर, 171 में 6 ऐयर , 172 में 6 ऐयर जो साविक ख0नं0 132 का रकबा मिला दिया है इसमें वादी0 अपना नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण को रथाई निपेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं । अंत में निवेदन किया है कि दावा व्वादीगण डिक्री फरमाया जाकर आ0ख0नं0 625/0.35 सम्पूर्ण व आ0ख0नं0 161मि0/0.04, 166मि0/0.06, 170मि0/0.06, 171/0.06, 172मि0/0.06, 173मि0/0.06 बाके ग्राम रायपुर सुकैती तह0 नगर पर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबे से प्रति0 का नाम कलमजन किया जावे । प्रति0 को जरिये हुक्म इम्तनाई दावामी पाबंद किया जावे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार महाजमत मदाखलत न करें, रहन वय मुंतकिल न करें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । प्रति0 संख्या 1 से 6 ने जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण ने यह दावा प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से प्रस्तुत किया है, प्रतिवादीगण 1 से 6 का मुताबिक राजस्व रिकार्ड वि0आ0 पर कब्जा काश्त है तथा रिकार्ड में खातेदार दर्ज है । वादीगण का मौके पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है । प्रतिवादीगण का रकबा साविक रिकार्ड के अनुसार ही हाल रकबा है । वादीगण का दावा काबिल खारिज है ।

प्रति0 7 से 19 ने जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण का वि0आ0 पर कब्जा काश्त नहीं है इसलिए धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । वि0आ0 प्रतिवादीगण की खातेदारी के साविक नम्बरान से निर्मित किये गये हैं, जिनमें वादीगण का कोई रकबा नहीं मिलाया है तथा मौके पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त है । वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है इसलिए दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत काबिल खारिज है । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई -

1. आया वादीगण विवादित आराजी ख0नं0 625/0.35 सम्पूर्ण व आ0ख0नं0 161मि0/0.04, 166मि0/0.06, 170मि0/0.06, 171मि0/0.06, 172मि0/0.06, 173मि0/0.06 बाके ग्राम रायपुर सुकैती तह0 नगर के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं ? —जिम्मे वादी0

2. आया वादीगण विवादित आराजी के बारे में वादपत्र में चाही गई डिकी हुकम इम्तनाई दवामी विरुद्ध प्रतिवादीगण पाने के मुश्तहक हैं ? —जिम्मे वादी०
3. आया मुताबिक साबिक रिकार्ड के हाल रिकार्ड में प्रतिवादीगण का रकबा सही है जिस प्रकार साबिक रिकार्ड में प्रतिवादीगण के इन्द्राज हैं उसी प्रकार भी हाल रिकार्ड में भी प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज हैं । इस पर वादी का रकबा प्रतिवादीगण के रकबे में नहीं निकलता है । साबिक रिकार्ड में भी प्रतिवादीगण खातेदार दर्ज है व हाल रिकार्ड में भी खातेदार दर्ज है वादी का हाल में भौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है एव ना ही वादी का रकबा निकलता है? — जिम्मे प्रति०
4. आया वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है ? — जिम्मे प्रति०
5. दादरसी ?

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सं० 2060-63 किता-3 प्रदर्श पी०-1, नकल जमाबंदी सं० 2023-25 प्रदर्श पी०-2, नकल नामा० संख्या 206 प्रदर्श पी०-3, नकल खसरा पत्रक किता-5 प्रदर्श पी०-4, नक्शा ट्रैश हाल प्रदर्श पी०-5, एवं नक्शा ट्रैश साविक प्रदर्श पी०-6 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी रामसिंह पीडब्ल्यू-1, गवाह सीताराम पीडब्ल्यू-2, बलजीतसिंह पीडब्ल्यू-3 के बयान कराये ।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं० 2060-63 प्रदर्श पी०-1 खात्त्र संख्या 16 पर हाल आ०ख०नं० 166/0.36, 167/0.34 आसमौहम्मद बगै० प्रतिवादी 7 लगा० 11 की खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है । खाता संख्या 132 पर आ०ख०नं० 171/0.37, 172/0.37 की बावत् "बदलू पुत्र रहीमखां निस्फ, चाहत, रहमत पिस० दीना बहि०बराबर निस्फ कौम मेव सा०देह खातेदार" दर्ज होना पाया जाता है । खाता संख्या 219 पर ख०नं० 170/0.31 की बावत् "सलेम, कमरू पिस० उम्मेद कौम मेव बहि०बराबर सा०देह खातेदार" दर्ज होना पाया जाता है । खाता संख्या 254 पर ख०नं० 625/0.35 की बावत् —"हिम्मत वल्द निजरू कौम मेव सा०देह खातेदार" दर्ज होना पाया जाता है । खाता संख्या 58 पर ख०नं० 173/0.62 की बावत् — "चाहत बगै० खातेदार" दर्ज होना पाया जाता है तथा खाता संख्या 95 पर ख०नं० 161/0.54, 162/0.33 की बावत् — "दीनू, नूरू बगै० का नाम बतौर खातेदार दर्ज होना पाया जाता है । इस प्रकार खाता संख्या 279 पर ख०नं० 934/0.18 की बावत् — "मवासी वल्द सोनी कौम गडरिया साकिन गैरखातेदार पट्टेदार" दर्ज होना पाया जाता है । नकल जमाबंदी सं० 2023 प्रदर्श पी०-2 में साविक ख०नं० 132 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, 495 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा, 721 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा की बावत् — "मवासी वल्द सोनी गडरिया पट्टेदार सा०तरोंडर इ०नं० 206" दर्ज होना पाया जाता है तथा इसकी पुष्टि नकल नामा० संख्या 206 प्रदर्श पी०-3 से भी स्पष्ट रूप से होती है । नकल खसरा पत्रक प्रदर्श पी०-5 के अनुसार हाल ख०नं० 161/0.54 साविक ख०नं० 128/2.19, 132मि०/0.05 से हाल



ख०नं० 166/0.36 साविक ख०नं० 133/1.10, 132मि०/0.07 से हाल ख०नं० 170/0.31 साविक ख०नं० 134/1.15, 132मि०/0.08 से हाल ख०नं० 171/0.37 साविक ख०नं० 135मि०/4.11, 132मि०/0.08 से हाल ख०नं० 172/0.37 साविक ख०नं० 135मि० व 132मि०/0.07 से हाल ख०नं० 173/0.62 साविक ख०नं० 136/3.7, 132मि०/0.08 से मिलकर बनाया जाना साबित होता है जिनमें प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज होना पाया जाता है । इसी प्रकार हाल ख०नं० 625/0.35 साविक ख०नं० 495मि०/2.7 से बनाया हाल ख०नं० 625/0.35 साविक ख०नं० 495मि०/2.7 से बनाया जाना साबित है जिसके नाम कृषक के खाना नं० 23 में मवासी वल्द सोनी गडरिया पट्टेदार सा० तरोंडर गैरखातेदार " दर्ज है तथा हाल ख०नं० 934/0.18 साविक ख०नं० 721मि०/1.06 से बनाया जाना साबित है तथा नाम कृषक के खाना नं० 23 में "मवासी वल्द सोनी गडरिया पट्टेदार सा० तरोंडर गैर खातेदार एलोटी दर्ज है । इस प्रकार उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड के विवेचन से साविक ख०नं० 132, 495 व 721 किता 3 रकवा 6 बीघा 6 विस्वा वादीगण के पिता मवासी पुत्र सोनी को आवंटित होना साबित है । दौराने भू प्रबंध जिनमें से साविक ख०नं० 721 से बनाये गये नवीन ख०नं० 934/0.18 पर वादीगण के पिता मवासी का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । साविक ख०नं० 495 से बनाये गये हाल ख०नं० 625/0.35 पर खसरा पत्रक के खाना नं० 23 में वादीगण के पिता मवासी का नाम बतौर गैर खातेदार एलोटी दर्ज है लेकिन इस नम्बर पर हाल में प्रतिवादी का नाम बतौर खातेदार किस प्रकार व कब दर्ज हुआ, भू प्रबंध की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद का अभिलेख वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं करने के कारण साबित नहीं होता है । जहां तक साविक ख०नं० 132 का रकवा हाल ख०नं० 161, 166, 170, 171, 172, 173 में मिलाये जाने का प्रश्न है, मुताबिक खसरा पत्रक साबित होता है लेकिन वर्तमान में उक्त नम्बर मौके पर होना वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं क्योंकि राजस्व रिकार्ड में उक्त सभी नम्बरान प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है, जबकि वादीगण को आवंटित नम्बरान आराजी गैरखातेदारी में दर्ज है । इस प्रकार वादीगण अपने वाद पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं । अतः आदेश है कि -

दावा वादीगण खारिज किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)  
सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा०ट्रै०) नगर

निर्णय आज दिनांक 18/12/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)  
सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा०ट्रै०) नगर